

अजमेर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. अजमेर
क्रमांक/निरीक्षण/2022-23/2005 दिनांक 05-11-2022
अल्पकालीन निविदा सूचना

राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार अजमेर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु दिनांक 12-11-22 से निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन स्थल पर आने व जाने हेतु 5 सीटर वाहन लगवाये जाने के लिए अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्तें/आवेदन का प्रारूप बैंक की वेबसाईट www.ajmerccb.com पर उपलब्ध है। निविदा जमा करवाये जाने की अंतिम दिनांक 10-11-22 को शाम 4.00 बजे तक है तथा निविदा दिनांक 11-11-22 को दोपहर 1.00 बजे खोली जावेगी।


प्रबन्ध निदेशक

अजमेर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, अजमेर


प्रधान कार्यालय, पुराने लोक सेवा आयोग भवन के पास, जयपुर रोड अजमेर (पो.बॉक्स नं० 156)

फोन नं०- 0145-2627396

ई-मेल आई.डी- ajmerccb@yahoo.com

- अल्पकालीन निविदा सूचना 1129 दिनांक 30.8.2022 में वर्णित अनुसार निविदा की शर्तों/नियम
1. वाहन प्रतिदिन कम से कम 250 किमी तक की चलन पर मय डीजल/पेट्रोल एवं एसी सहित रहेगी, अर्थात प्रतिदिन की रनिंग 250 किमी से अधिक नहीं होगी।
 2. प्रतिदिन 250 किमी से अधिक वाहन चलाने पर टेण्डर छूटने पर देय किमी दर से भुगतान किया जायेगा।
 3. वाहन की टूट-फूट की जिम्मेदारी स्वयं वाहन मालिक/फर्म की रहेगी।
 4. वाहन के खराब होने की स्थिति में तत्काल नये वाहन को खराब वाहन के स्थान पर उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी निविदा छूटने वाले(वाहन सप्लायर) की ही होगी।
 5. वाहन निर्वाचन दल को आवंटन होने पर रात-दिन निर्वाचन अधिकारी के अधिकार में रहेगी तथा रात्रि विश्राम का कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जायेगा।
 6. कुल 25 से 50 तक वाहन आवश्यकतानुसार चाहे जा सकेगे।
 7. जिन दिन वाहन चाहा जावेगा उसी दिन का भुगतान किया जावेगा।
 8. वाहन 5 सिटर (ड्राइवर सहित) सीडान(डिक्की वाली) मेक (इन्डिगो/ईटीयोस/स्वीफ्ट डिजायर/होन्डा अमेज/अन्य सिडान होगी।
 9. समस्त वाहनो के वाहन चालको के लाईसेन्स व रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति उपलब्ध करवानी होगी।
 10. समस्त वाहनो का बीमा की छाया प्रति उपलब्ध करावें, वाहन का बीमा होना आवश्यक है।
 11. वाहन पर कोई टैक्स/चालान बकाया नहीं होना चाहिए जिससे वाहन उपयोग लेते समय बिना रोक-टोक के चुनाव कार्य सम्पन्न हो सके। यदि किसी भी कारण से परिवहन कार्यालय द्वारा वाहन सीज़/चालान किया जाता है तो बैंक द्वारा कोई चालान देय नहीं होगा व तत्काल उसी समय नये वाहन को सीज़ वाहन के स्थान पर उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी निविदा छूटने वाले(वाहन सप्लायर) की होगी।
 12. वाहन के टोल टैक्स की रसीद उपलब्ध करवाने पर पृथक से देय होगा।
 13. वाहन व अन्य मरम्मत की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
 14. वाहन में कोई तकनीकी समस्या होने पर तुरन्त अन्य वाहन उपलब्ध करवाना होगा।
 15. समस्त वाहन चालको के नाम व मोबाईल नम्बर की सूची उपलब्ध करवानी होगी।
 16. वाहन लॉग बुक दैनिक रूप से भरकर देनी होगी व मीटर रिडिंग उपयोगकर्ताओं द्वारा सत्यापित करवाकर देनी होगी जो कभी भी बैंक प्रधान कार्यालय/जिला स्तरीय चुनाव अधिकारियों द्वारा चैक की जा सकेगी।
 17. वाहन का मॉडल पांच वर्ष से पुराना नहीं होगा।
 18. किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम होगा एवं बैंक का क्षेत्राधिकार सुरक्षित होगा।




प्रबन्ध निदेशक

अजमेर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि0, अजमेर

श्रीमान् प्रबन्ध निदेशक महोदय,
अजमेर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
अजमेर।

विषय:- अल्पकालीन निविदा सूचना प्रार्थना पत्र।

संदर्भ:- अल्पकालीन निविदा सूचना (क्रमांक निरीक्षण/2022-23/2005
दिनांक 05.11.2022)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा दिनांक 7.11.2022 के अखबार में प्रकाशित अल्पकालीन निविदा सूचना (क्रमांक निरीक्षण/2022-23/2005 दिनांक 05/11/2022) में वर्णित 18 शर्तानुसार निम्न दरों पर वाहन बैंक में चुनाव कार्य हेतु लगाने के लिए तैयार हूँ:-

1. किलोमीटर तक का/- रुपये प्रति दिन देय होगा।
2. किलोमीटर से अधिक होने पर/- रुपये प्रति किलोमीटर देय होंगे।
3. नियम व शर्तों में वर्णित अनुसार 18 में से शर्तें मुझे मंजूर/स्वीकार हैं। शर्त संख्या मुझे अस्वीकार है।

दिनांक / / 2022

.....
(निवेदक)
.....